



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 05.01.2023

**प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के
कठोर कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदंड की
सजा दिलाई गई-**

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 08/04/2022 को थाना कुरास जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 97/22 धारा- 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट में नामजद अभियुक्त पप्पू उर्फ कालिया पुत्र कालीदीन निवासी करबा व थाना कुरास जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।